

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in/ dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 4771/12-1-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक: 03/16 /2023

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 133.00 से 170.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 22.112 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या -151113/2022)

सन्दर्भ- भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक सं० 8वी/यू.सी०.पी. /06/73/2022/एफ.सी./224 दिनांक 24.05.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 30.05.2023 को सम्पन्न Regional Empowered Committee (REC) की बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चाही गयी सूचना का प्रस्तावक विभाग द्वारा उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

1.	The state Government to provide adequate documentation proving that the bye-pass itself is a strategic route.	This route is a feeder link route that connects NH-09(Tanakpur-Pithoragarh-Askot) at Ghat (Pithoragarh) which is strategic route connecting to Indo-China Boarder. Which is also metioned on point no. 14 of Judgement of Suprime Court Dt. 14-12-2021(old NH-125) (attached copy of Minutes of meeting of Standing Finance committee (SFC) for 2-Lane widing of NH-309 A and Judgement of Suprime court dt-14-12-2021 is Attached herewith).
2.	The State Government is requested to present the wildlife management plant in the meeting.	The Wildlife Management Plant presented earlier in the R.E.C. meeting by D.F.O. Bageshwar on dated 30.05.2023 has been discussed.
3.	It is also requested to inform that whether the proposed work falls within the purview of oversight committee or not.	NGT formed oversight committee to monitor the environmental safe guards for the widening of chardham yatra route. So proposed work not falls within the purview of oversight committee. Which is mentioned on point no. 07 of Judgement of Suprime court dt 14-12-2021.

संलग्न: पत्रिका

भवदीय,

(हिमांशु बागरी)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर